भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **1781**

दिनांक 04 अगस्त, 2021 / 13 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>हवाईअड्डों से निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों को हटाना</u>

1781. श्री संजय सिंहः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय देश भर के सभी हवाई अड्डों से निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों (जीएसए) को हटाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या मंत्रालय को देश भर के हवाईअड्डों से निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों को हटाने का कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) वर्तमान में निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्र कोविड-19 के प्रसार करने के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)</u>

(क) और (ख): जी नहीं। 'धूम्रपान लाउंज' के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लाइसेंस देने की नीति हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा यात्री सुविधा के उपाय के रूप में बनाई गई है।

(ग) और (घ): "वॉलेंटरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया" नामक एक संगठन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि कोरोना वायरस से लड़ने में और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सभी हवाईअड्डों पर "धूम्रपान कक्ष" को बंद किया जाए।

(ड.): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं कि निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र (डीएसए) कोविड-19 के प्रसार के लिए उच्च जोखिम क्षेत्र न बने और इसके लिए नियमित रूप से स्वच्छता, उचित संवातन, सेनिटाइजरों का प्रावधान और कोविड-19 संबंधी सुरक्षा दिशानिर्देशों के डिस्प्ले को सुनिश्चित किया गया है।

*****